



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-29062020-220253
CG-DL-W-29062020-220253

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, जून 21—जून 27, 2020, शनिवार / ज्येष्ठ 31—आषाढ़ 6, 1942
No. 18] NEW DELHI, JUNE 21—JUNE 27, 2020, SATURDAY/ JYAISTHA 31—ASADHA 6, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 90.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा संघ लोक सेवा आयोग, पर्यवेक्षक (गोपनीय) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा अयोग में पर्यवेक्षक (गोपनीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, पर्यवेक्षक (गोपनीय), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति, -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
पर्यवेक्षक (गोपनीय)	04* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधरण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिदीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 07 (44900-142400/-रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयुसीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली, रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री।</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या कानूनी या स्वायत्त संगठन में परीक्षा के आयोजन से संबंधित स्टॉग रूम प्रचालन में संवेदनशील सामग्री से संबंधित कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पण: पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी :</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए चिह्नित किए गए अनुभव तथा शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
लागू नहीं होता	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव (प्रभारी प्रशासन), - अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग 2. संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशासन), - सदस्य संघ लोक सेवा आयोग 3. संयुक्त सचिव (प्रभारी गोपनीय शाखा), - सदस्य संघ लोक सेवा आयोग 	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 39021/06/2018-स्था.(बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 15th June, 2020

G.S.R. 90.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission, Supervisor (Confidential) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Supervisor (Confidential) in the Union Public Service Commission, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Supervisor (Confidential), Group 'B' post, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. .—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supervisor (Confidential)	4* (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 7 in pay matrix Rs. 44900-142400	Not applicable	Not exceeding 30 years of age. (relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) Note: – The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; (ii) three years' experience relating to handling of sensitive materials in strong room operations relating to conduct of examinations in Central Government or State Government or University or recognised research institutions or statutory or autonomous organisation.	Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of Central Government,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 in the pay matrix Rs. 35400 - 112400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note: The maximum age for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Additional Secretary (In-charge of Administration), - Chairman Union Public Service Commission 2. Joint Secretary (In-charge of Administration), - Member Union Public Service Commission 3. Joint Secretary (In-charge of Confidential Branch), - Member Union Public Service Commission	Not applicable.

[F. No. 39021/06/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग में सहायक निदेशक (गोपनीय सुरक्षा) भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग में सहायक निदेशक (गोपनीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, सहायक निदेशक (गोपनीय), समूह क, भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (गोपनीय)	3* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ऐसे विभागीय पर्यवेक्षक (गोपनीय) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) में स्तर-7 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा संरक्षक वर्गीकृत सूचना और संवेदी सामग्री की सुरक्षा में 2 सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में ही विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र</p>	<p>1. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य</p> <p>(iii) संयुक्त सचिव (प्रभारी गोपनीय शाखा), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य</p> <p>2. समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i) अपर सचिव (प्रभारी प्रशासन), संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशासन), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य</p> <p>(iii) संयुक्त सचिव (प्रभारी गोपनीय शाखा), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य ।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>के उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रु.) में स्तर-8 में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या कानूनी या स्वायत्त संगठन में स्ट्रोंग रूम से संबंधित परीक्षण के प्रचालन में संवेदी पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित तीन वर्ष का अनुभव।</p>		
--	--	--

[फा. सं. 39021/06/2018-स्था.(बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 15th June, 2020

G.S.R. 91 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission Assistant Director (Confidential Security) Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Confidential) in the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Assistant Director (Confidential), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Confidential)	3*(2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 10 in the pay matrix Rs. 56100-177500/-	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Departmental Supervisor (Confidential) with three years' regular service in level 7 in the pay matrix Rs. 44900 - 142400 and have successfully completed two weeks training in protecting classified information and security of sensitive material.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the</p>	<p>1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:—</p> <p>(1) Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman</p> <p>(2) Secretary, Union Public Service Commission - Member</p> <p>(3) Joint Secretary (In-charge of Confidential Branch), Union Public Service Commission - Member</p> <p>2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—</p> <p>(1) Additional Secretary (In-charge of Administration), Union Public Service Commission - Chairman</p> <p>(2) Joint Secretary (In-charge of Administration), Union Public Service Commission - Member</p> <p>(3) Joint Secretary (In-charge of Confidential Branch), Union Public Service Commission - Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is Necessary.</p>

<p>requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration or recognised research institution or University or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation:-</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 in the pay matrix Rs. 47600 - 151100 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and (ii) three years' experience relating to handling of sensitive materials in strong room operations relating to conduct of examinations in the Central Government or State Government or University or Government recognised research institution or statutory or autonomous organisation.</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by</p>		
--	--	--

<p>deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--

[F. No. 39021/06/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

सा.का.नि. 92.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग में उप निदेशक (गोपनीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, उप निदेशक (गोपनीय), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक (गोपनीय)	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ऐसे सहायक निदेशक (गोपनीय) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (56100- 177500 रु.) में स्तर- 10 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा संरक्षक वर्गीकृत सूचना और संवेदी सामग्री की सुरक्षा में 2 सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया हो।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में ही विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>i) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष</p> <p>ii) अपर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य</p> <p>iii) संयुक्त सचिव (प्रभारी गोपनीय शाखा), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य</p>	<p>किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रु.) में स्तर-10 में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या कानूनी या स्वायत्त संगठन में स्ट्रॉग रूम से संबंधित परीक्षण के प्रचालन में संवेदी पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित पांच वर्ष का अनुभव।</p>		
---	--	--

[फा. सं. 39021/06/2018-स्था.(बी)]

राजवीर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 15th June, 2020

G.S.R. 92 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Confidential) in the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Deputy Director (Confidential), Group 'A' post, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director (Confidential)	2* (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 11 in the pay matrix Rs. 67700-208700/-	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Assistant Director (Confidential) with five years' regular service in level 10 in the pay matrix Rs. 56100 - 177500 and have successfully completed two weeks training in protecting classified information and security of sensitive material.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary, Union Public Service Commission -Chairman 2. Additional Secretary, Union Public Service Commission -Member 3. Joint Secretary (In-charge of Confidential Branch), Union Public Service Commission -Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation.</p>

<p>grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract):</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or recognised research institution or University or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation:—</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 in the pay matrix Rs. 56100 - 177500 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:—</p> <p>(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) five years' experience relating to handling of sensitive materials in strong room operations relating to conduct of examinations in the Central Government or State Government or University or Government recognised research institution or statutory or autonomous organisation.</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: The departmental officers in the feeder grade</p>		
--	--	--

who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
---	--	--

[F. No. 39021/06/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सा.का.नि. 93 .— केंद्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उप-खंड (i) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, और केंद्रीय सरकार के ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगठनों जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझती हो, से परामर्श करने के पश्चात् 9.5% चीनी की मूल रिकवरी से सम्बद्ध गन्ने के 255.00 रुपये प्रति क्विंटल की उचित तथा लाभकारी कीमत जो इस स्तर से अधिक रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि के लिए 2.68 रुपये के प्रीमियम की शर्त के अध्यक्षीन हो, के आधार पर इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट मूल्य को उस उचित तथा लाभकारी मूल्य के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी मिलों के स्वामियों द्वारा या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केंद्र पर 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त होने वाले चीनी वर्ष 2017-18 के लिए परिदत्त गन्ना के लिए संदेय होगी, किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड (3 क) के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा:

"परंतु जिन मामलों में क्रय केंद्र मिल के द्वार तक गन्ने की ढुलाई में आई ढुलाई लागत चीनी मिल मालिकों द्वारा वहन की जाती है उन मामलों में रेल अथवा सड़क से जुड़े किसी क्रय केंद्र पर खरीददारी के लिए सुपुर्द किए गए गन्ने के लिए 44 पैसा प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर की दर पर ढुलाई रिबेट का भुगतान अधिकतम 8.83 रुपए प्रति क्विंटल की शर्त के अध्यक्षीन किया जाएगा:

परंतु यह और कि उचित तथा लाभकारी कीमत से उपर्युक्त ढुलाई रिबेट की अनुज्ञा केवल उन चीनी मिलों के लिए होगी जो समय से गन्ना कीमत का भुगतान करते हैं और उक्त आदेश के खंड 3 के अनुसार सम्यक संदेय ब्याज सहित गन्ना मूल्य के समस्त बकाया का भुगतान करते हैं।"

अनुसूची

क्रम संख्या	संयंत्र कोड	संयंत्र नाम	चीनी मिल का नाम और पता	उचित और लाभकारी मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश				
1	23609	एनसीएस शुगर्स	एनसीएस शुगर्स लि०, डाकघर बॉक्स नं० - 1, खैराताबाद, हैदराबाद - लद्दखयापेटा, जिला विजियानगरम, आंध्र प्रदेश	255.00